उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
ई0पत्रा0 सं0–57401
संख्या–305731/2025/XXVII(9)/स्टाम्प–03/2017
देहरादूनः दिनांकः जून, 2025

अधिसूचना संख्या–305426/2025/XXVII(9)/स्टाम्प–03/2017/ई–57401(9)/स्टाम्प–03/2017/ई–57401 एवं अधिसूचना संख्या–305427/2025/XXVII(9)/स्टाम्प–03/2017/ई–57401(9)/स्टाम्प–03/2017/ई–57401 दिनांक 11.06.2025 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड निबंधन लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 2025" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 वित्त मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त, कुमायूं, उत्तराखण्ड।
7. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित करते हुए उसकी 200 प्रतियाँ वित्त अनुभाग–9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SUNIL KUMAR SINGH
Date: 11-06-2025
17:00:10

(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्याः 305427/2025/XXVII(9)/स्टाम्प–03/2017/ई–57401
देहरादून, दिनांकः 11 जून, 2025

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, उत्तराखण्ड निबंधन लिपिक सेवा में भर्ती और उनमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तराखण्ड निबंधन लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 2025

भाग–एक
सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड निबंधन लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 2025' है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. (1) इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में 'उत्तराखण्ड निबंधन लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा' के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती (जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो और जो लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर हो) नियंत्रित होगी।
(2) ऐसे निबंधन लिपिक वर्गीय पदों पर जिन पर यह नियमावली लागू होती है, सभी रिक्तियों के प्रति भर्ती इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–
(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से 'महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड' अभिप्रेत है;
(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
(ग) 'आयोग' से 'उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' अभिप्रेत है;
(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;
(ङ) 'सरकार' से 'उत्तराखण्ड राज्य की सरकार' अभिप्रेत है;
(च) 'राज्यपाल' से 'उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल' अभिप्रेत है;

(छ) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) 'सेवा' से 'उत्तराखण्ड निबंधन लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा' अभिप्रेत है;

(झ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो;

(ञ) 'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो
संवर्ग

सेवा संवर्ग 4. (1) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।

(2) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाए, उतनी होगी जो परिशिष्ट 'क' में दी गई है:

परन्तु यह कि–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी रिक्त पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ख) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग–तीन
भर्ती का स्रोत

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(1) **निबंधन लिपिक**– (i) 95 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) 05 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' के कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, के साथ–साथ कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति

घण्टा की गति रखते हों;

(2) मुख्य निबंधन लिपिक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे निबंधन लिपिक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(3) रिकार्ड कीपर– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे निबंधन लिपिक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार
अर्हता

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, म्यानमार, श्रीलंका तथा केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो:

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) या (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा:

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो,

उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

शैक्षिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए–

निबंधन लिपिक– उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, के साथ–साथ कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।

अधिमानी अर्हता

9. अभ्यर्थी जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो; या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 'उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2004 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगी।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिये उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी:– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हों, या जिसके एक से अधिक पति जीवित हों:

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता

13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह

ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना न हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें:

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थियों से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

भाग–5
भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियां तथा नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो तथा अन्य श्रेणियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. निबंधन लिपिक पद हेतु 'उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानानुसार भर्ती की जाएगी। उक्त भर्ती आयोग अथवा सरकार द्वारा नामित संस्था द्वारा सम्पन्न कराई जाएगी और श्रेष्ठता क्रम में एक चयन सूची तैयार की जायेगी।

पदोन्नति के लिये भर्ती प्रक्रिया

16. (1) सेवा में मुख्य निबंधन लिपिक तथा रिकार्ड कीपर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर, ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय आवश्यकता के अनुसार, उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार गठित विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। मुख्य निबंधन लिपिक एवं रिकार्ड कीपर का पद परस्पर स्थानान्तरणीय होगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता–सूची नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 (समय–समय पर यथासंशोधित) के

अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजियाँ और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाये, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

संयुक्त चयन सूची 17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 18. नियम 15 में निर्दिष्ट चयन सूची आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन में प्राप्त कुल अंक उल्लिखित किये जायेंगे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम अभ्यर्थियों को योग्यतानुसार एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये जायेंगे और नियुक्ति का प्रस्ताव उसी क्रम में किया जायेगा जिससे उनके नाम सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये हो। चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।

परिवीक्षा 19. (1) जहां किसी विशिष्ट सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों से अन्यथा उपबन्धित हो उसके सिवाय विभाग/कार्यालय में किसी स्थायी पद की रिक्ति में किसी पद पर नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा:

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक की अवधि बढ़ायी जाये:

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त मे नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरो का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो. प्रत्यावर्तित किया जा सकता है. और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है जिससे इनमें से किसी भी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी

रूप से की गयी निरन्तर सेवा को उस पद के लिये परिवीक्षा अवधि संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक तथा उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि यह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 21. सेवा में मूल रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

भाग–7
वेतन इत्यादि

वेतनमान 22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'ख' के अनुसार होंगे।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान मे प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी:

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा:

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं

की जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यो से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग–8

अन्य प्रावधान

अधियाचन 24. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विर्निदिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू नियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होगें।

सेवा की शर्तों में शिथिलीकरण 26. यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो, वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी, जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिये उचित समझे।

व्यावृति 27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

Digitally signed by Dilip Jawalkar
Date: 11-06-2025 05:11:56

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

परिशिष्ट 'क'

स्टाम्प एवं निबंधन, उत्तराखण्ड विभागान्तर्गत लिपिक संवर्ग में सृजित पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	सृजित पद
1.	निबंधन लिपिक	89
2.	मुख्य निबंधन लिपिक	15
3.	रिकार्ड कीपर	13
	योग	117

परिशिष्ट 'ख'

स्टाम्प एवं निबंधन उत्तराखण्ड विभागान्तर्गत लिपिक संवर्ग में सृजित पदों का वेतनमान

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	
		अपुनरीक्षित वेतनमान / ग्रेड वेतन	पुनरीक्षित वेतनमान
1.	निबंधन लिपिक	5200–20200 / 2000	21700–69100 (लेवल–3)
2.	मुख्य निबंधन लिपिक	5200–20200 / 2800	29200–92300 (लेवल–5)
3.	रिकार्ड कीपर	5200–20200 / 2800	29200–92300 (लेवल–5)

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No 305426 /2025/XXVII(9)/Stamp-03/2017 dated, June, 2025 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No.305426 /2025/XXVII(9)/ Stamp-03/2017/E-57401
Dehradun: Dated: 11 June, 2025

Notification

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor makes the following rules to regulate recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Registration Clerk Service:

The Uttarakhand Registration Clerical Grade Employee Service Rules, 2025

PART-1
GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the 'Uttarakhand Registration Clerical Grade Employee Service Rules 2025'

(2) It shall come into force at once.

Status of Service

2. (1) Recruitment to the Group 'C' posts of 'Uttarakhand Registration Clerical Class Employee Service' (which are required to be filled by direct recruitment and which are outside the purview of Public Service Commission) in the Stamp and Registration Department under the control of the Government will be controlled by these rules.

(2) Recruitment against all vacancies in Registration Clerical Cadre Posts to which these rules apply shall be made in accordance with the provisions of these rules.

Definitons

3. Unless there is anything repugnant in the subject or context, in these rules –

(a) 'Appointing Authority' means the 'Inspector General of Registration, Uttarakhand';
(b) "Citizen of India" means a person who is, or is deemed to be, a citizen of India under Part II of the Constitution of India;
(c) 'Commission' means the 'Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission';
(d) 'Constitution' means the 'Constitution of India'
(e) Government means 'Government of the State of Uttarakhand';
(f) 'Governor' means 'Governor of the State of Uttarakhand';
(g) 'Member of the Service' means a person appointed to a permanent/substantive post under these rules or the rules or orders in force before commencement of these rules;
(h) 'Service' means 'Uttarakhand Registration Clerical Grade Employees Service';
(i) 'Substantive appointment' means appointment to a post in a cadre of the service, not being an ad hoc appointment and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government.
(j) 'Year of recruitment' means the period of twelve months commencing from the first day of July of the calendar year.

PART - 2
CADRE

Service Cadre

4. (1) The strength of employees in the service and each class of posts therein shall, be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of employees in the service and of each class of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix 'A':

Provided that –

(a) The Appointing Authority may leave unfilled any post vacant, or the Governor may hold in abeyance any vaccant post in such a manner

that no person shall be entitled to compensation.

(b) The Governor may create such permanent or temporary posts as he may deem fit.

PART 3
SOURCE OF RECRUITMENT

Source of Recuritment

5. Recruitment to various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-

(1) **Registration Clerk-**

(i) 95 percent by direct recruitment.

(ii) 05 percent by promotion from amongst the substantively appointed Group 'D' employees, who have passed the intermediate examination of the Uttar Pradesh Board of Secondary Education or the Uttarakhand Board of Education and Examination or any other examination declared equivalent thereto by the Government and possess a minimum speed of 4000 key depressions per hour in Hindi typing on computer;

(2) **Chief Registration Clerk** – By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed such Registration Clerks who have completed a minimum of seven years service as such on the first day of the year of recruitment.

(3) **Record Keeper** – By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed such Registration Clerks who have completed a minimum of seven years service as such on the first day of the year of recruitment.

Reservation

6. Reservation for the Candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and other categories of candidates belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the Government orders in force at the time of recruitment.

PART 4
QUALIFICATION

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service, must be–
   (a) a citizen of India; or
   (b) a Tibetan refugee who came to India before 1 January, 1962 with the intention of permanently settling in india; or
   (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

   Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

   Provided further that a candidate belonging to category (b) shall also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

   Provided also that if a candidate belongs to category (c), no certificate of eligibility shall be issued for a period exceeding one year and the retention of such a candidate in service beyond, period of one year shall be subject to acquiring Indian citizenship by him.

Note - A candidate in whose case an eligibility certificate is necessary but the same has neither been issued nor rejected may be admitted to the examination or interview and may also be provisionally appointed, subject to the necessary certificate being obtained by him or to issued in his favor.

Educational Qualification

8. For appointment on various posts in the service, the candidate must have the following qualifications-

Registration Clerk- should have passed the intermediate examination of UP Board of

Secondary Education or Uttarakhand Board of Education and Examination or any other examination declared equivalent to it by the Government, along with minimum speed of 4000 key depressions per hour in Hindi typing on computer.

Preferential Qualification

9. A candidate who-
(1) has served for at least two years in the Territorial Army; or
(2) has obtained 'B' or 'C' certificate of National Cadet Corps, shall other things being equal be given preference in the case of direct recruitment.

Age

10. The age of the candidate for direct recruitment shall be as per 'Uttarakhand Recruitment to Services (Age Limit) Rules, 2004 (as amended from time to time).

Character

11. For direct recruitment to any post in the service, the character of the candidate should be such that he is suitable for a job in the Government service. The Appointing Authority shall satisfy himself in this matter.

Note:- Persons dismissed by the Union Government or the State Government or any local authority or corporation or body owned or controlled by the Union Government or the State Government shall not be eligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of offences involving moral turpitude shall also not be eligible for appointment

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife or has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service;

Provided that the Government may, if satisfied that there are special reasons for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed to any post in the service unless he be in good mental and physical health and is free from any physical defect likely to interfere with the efficient

performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a fitness certificate in accordance with the rules made under Fundamental Rule-10 given in Chapter III of Financial Handbook Volume II Part III:

Provided that in order of section 33, the posts identified for this purpose and the categories identified under section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016), the disabled shall not be denied for appointment as per rules:

Provided further that a fitness certificate shall not be required from candidates recruited by promotion.

PART 5
RECRUITMENT PROCESS

Determination of Vacancies

14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the year and the vacancies to be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and other categories of Uttarakhand under Rule-6 and inform the Commission.

Procedure for Direct Recruitment

15 Recruitment on the posts of Registration clerk shall be done as per the provisions of the Uttarakhand Procedure for Direct Recruitment for Group 'c' Posts (outside the purview of Uttarakhand Public Service Commission) Rules, 2003 (as amended from time to time). The said recruitment will be done by the Commission or the institution nominated by the Government and a merit wise selection list shall be prepared.

Recruitment Process for Promotion

16 **(1)** Recruitment by promotion to the post of Chief Registration Clerk and Record Keeper in the service will be done from time to time, on the basis of seniority as per the departmental requirement, through the Departmental Selection Committee constituted as per the Uttarakhand constitution of Departmental Promotion Committee (for posts outside the purview of the Public Service Commission) Rules, 2002 (as amended from time to time). The post of Chief Registration Clerk and Record Keeper shall be

mutually transferable.

(2) The Appointing Authority shall prepare the eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection (on the posts outside the purview of Public Service Commission) Eligibility List Rules, 2003 (as amended from time to time) and Uttarakhand Government Servant (Criterion for Recruitment by Promotion) Rules, 2004 (as amended from time to time) and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records relating to them as may be considered appropriate.

Combined Selection List

17. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and promotion, a combined select list shall be prepared in which the names of the candidates shall be taken from the relevant lists in such a manner that the prescribed percentage is maintained. The first name in the list shall be of the person appointed by promotion.

PART-6
APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

18. The selection list specified in rule 15 shall be forwarded by the Commission to the Appointing Authority, stating therein the total marks obtained by each candidate in the selection. The names of the general and reserved categories shall be arranged by the Appointing Authority in a common list according to the merit of the candidates and the appointment shall be offered to the candidates in the same order in which their names have been arranged in the common list. The select list shall be valid for a period of one year from the date of selection.

Probation

19. (1) Save as otherwise provided by the rules applicable to a particular service or post, every person on appointment to a post against a vacancy in a permanent post in a

Department/Office shall be placed on probation for a period of two years:

Provided that the Appointing Authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of probation in individual cases, specifying the date up to which the period is extended:

Provided further that the period of probation shall in no circumstances be extended more than two years.

(2) If at any time during or at the end of the period of probation or the extended period of probation it appears to the Appointing Authority that a person on probation has not sufficiently utilized his opportunities or has otherwise failed to satisfy, he may be reverted to the post he helds lien and if he does not holds lien on any post, his services may be dispensed with, in either of these cases he shall not be entitled to any compensation.

(3) The Appointing Authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post in the cadre to be considered for the purpose of computing the period of probation for that post.

Confirmation

20. A person on probation shall be confirmed in his appointment at the end of the probation period or extended period of probation, as the case may be, if his work and conduct are satisfactory and his integrity is certified and the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

21. The seniority of persons substantively appointed to the service shall be determined in accordance with the 'Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002' (as amended from time to time).

PART-7
PAY ETC.

Pay-Scale

22. (1) The pay scales admissible to persons appointed to various categories of posts in the

service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The pay scales at the commencement of these rules shall be as per Appendix 'B'

Pay during Probation Period

23. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary a person on probation shall, if he is not already in permanent Government service, be allowed his first increment in the time scale on completion of one year of satisfactory service, passing the departmental examination and undergoing training, wherever prescribed and second increment after two years of service on completion of probationary period and on confirmation:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, unless the Appointing Authority otherwise directs such extended period shall not be counted for increment.

(2) The pay during probation of a person already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, unless the Appointing Authority otherwise directs such extended period shall not be counted for increment.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules applicable to servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART-8
OTHER PROVISIONS

Canvassing

24. No recommendation either written or oral, other than that required under the rules applicable to a post or service shall be taken in to consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulation of

25. In respect of such matters not specifically

other matters covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be regulated by the rules and orders generally applicable to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation of service conditions

26. If the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service may cause undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to such case, by order dispense with or relax the requirements of this rule to such extent and subject to such conditions as it may deem fit for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving

27. Nothing in these rules shall affect such reservations and other concessions as may be required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and other special categories of candidates of the State of Uttarakhand in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 11-06-2025
05:10:38

(Dilip Jawalkar)
Secretary.

ANNEXURE – 'A'

DETAILS OF POSTS CREATED IN CLERICAL CADRE UNDER STAMP AND REGISTRATION DEPARTMENT, UTTARAKHAND

S.No.	Name of the Post	Post Created
1.	Registration Clerk	89
2.	Chief Registration Clerk	15
3.	Record Keeper	13
Total Post		**117**

ANNEXURE – 'B'

DETAILS OF PAY SCALE OF POSTS CREATED IN CLERICAL CADRE UNDER STAMP AND REGISTRATION DEPARTMENT, UTTARAKHAND

S.No.	Name of the Post	Pay Scale	
		Unrevised Pay Scale/Grade Pay	**Revised Pay Scale**
1.	Registration Clerk	5200-20200/2000	21700-69100(Level-3)
2.	Chief Registration Clerk	5200-20200/2800	29200-92300(Level-5)
3.	Record Keeper	5200-20200/2800	29200-92300(Level-5)